

11-6L-11-94

V-190/CR-J.(e)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

the court of.....
Case No.....

Class.....

Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....

शिवानी शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड

Name, parentage, caste and address of accused

जोविन्द सो पाली लक गांव

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 22-5-18 को समय 18:50 बजे स्थान गांव डी डी गांव
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 17 तकिया को अपने आधिपत्य में रखा
जो मोप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

अपराध स्वीकार हो बिचार नहीं चाहिए।

गोविन्द

शिवानी शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड

The offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(आज दिनांक 6-6-18 को घोषित)

- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड